UPGK010023352026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–992/2026

दिनेश यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट सरहरी, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर, उ०प्र०।

.............**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–88/2018
अंतर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0
व 3(1) द,ध SC/ST Act
थाना–गुलरिहा, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 13–04–2026

आवेदक/अभियुक्त **दिनेश यादव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र प्रभुनाथ द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी पूनम देवी पत्नी विनोद कुमार निवासिनी ग्राम बुढेली टोला सोंरहा ,थाना गुलरिहा, जिला गोरखपुर की स्थायी निवासिनी है तथा जाति की अनुसूचित जाति चमार है। प्रार्थिनी दिनांक 18–01–2018 की शाम को 4.30 बजे ग्राम पंचायत आवास के पास गोहरा पाथने गयी थी, वही पर गांव के बगल का ग्राम सरहरी टोला अहिरौली का रहने वाला दिनेश यादव पुत्र श्रीराम यादव आ गया तथा प्रार्थिनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ग्राम पंचायत कमरे में ले जाने लगा व बलात्कार करने की नियत से अश्लील हरकत करने लगा, विरोध किया तो प्रार्थिनी को उठाकर पटक दिया व उसके ब्लाउज को फाड़ दिया हल्ला गुल्ला सुनकर विनय यादव, व श्रीराम यादव आ गये तो श्रीराम यादव ने ललकारा कि चमाईन की जात जबान लड़ा रहीं है, जान से खत्म कर दो हम देख लेगें। इसी पर दिनेश व विनय लाठी डंण्डा से बुरी तरह मारे

पीटे, जब वादिनी चिल्लाई तो गांव के तरीकुलनिशा व नाशपाती देवी तथा अन्य बहुत से लोग आ गये जो घटना देखे तथा बीच बचाव किया,तब प्रार्थिनी की जान बची। अतः कानूनी कार्यवाई किये जाने की याचना की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष व बेकसूर है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है, प्रार्थी को बवजह रंजिशन मुकदमें में अभियुक्त बना दिया गया है। उक्त मुकदमें में सह–अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना–पत्र मा० न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। वादी मुकदमा द्वारा पूर्णतः गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया है। प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब एक माह बाद मनगढंत कहानी के आधार पर दर्ज कराया गया है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० तथा शिकायती प्रार्थना पत्र बावत दर्ज करने प्रथम सूचना रिपोर्ट में विरोधाभाष है, जिसमें बच्चों के क्रिकेट खेलने के दौरान गोहरा टूटने का विवाद था, रंजिशन प्रार्थी के विरुद्ध मनगढंत कहानी के आधार पर एक माह बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध बाद दर्ज होनें प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता का मेडिकल हुआ, जिसमें किसी प्रकार का चोट लगना नही पाया गया, जबकि कथन पीड़िता लाठी, डंडा आदि से मारा गया था। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। वर्तमान मुकदमा प्रार्थी के विरुद्ध रंजिशन दर्ज कराया गया है। पीड़िता द्वारा वास्तविक घटना के बावत हाजिर अदालत होकर शपथपत्र मय सुलहनामा दिनांक–15.05.2025 को दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी के द्वारा पीड़िता के साथ कोई अपराध कारित नही किया गया है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त पर कथित घटना के समय वादिनी मुकदमा को जाति सूचक शब्दो से गाली गुप्ता देने, बलात्कार करने की नियत से अश्लील हरकत करने, उसका ब्लाउज फाड़ने तथा लाठी–डण्डा से मारने पीटने का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 माह विलम्ब से दर्ज करायी गयी है उक्त विलंब का कोई युक्तियुक्त कारण प्राथमिकी में नहीं बताया गया है। पी़डिता के बयान अन्तर्गत धारा 161दं०प्र०सं० व 164दं०प्र०सं० तथा शिकायती प्रार्थनापत्र बाबत दर्ज करने प्रथम सूचना रिपोर्ट में विरोधभाष है, पीड़िता के चिकित्सीय आख्या में कोई चोट आना दर्शित नहीं है जबकि घटना के समय लाठी डंडा से मारे जाने का कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय

द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहअभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की गयी है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No. 2025: AHC:136034]** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **दिनेश यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–992/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.04.13 16:49:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court